भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 3271
दिनांक 08.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रवासी भारतीय बीमा योजना

3271.**एडवोकेट अदूर प्रकाशः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रवासी भारतीय बीमा योजना के अंतर्गत ईसीआर देशों में प्रवासी श्रमिकों या उनके परिवारों को कितनी धनराशि संवितरित की गई है; और

(ख) क्या सरकार की इस योजना का विस्तार करके ईसीआर देशों में शिक्षा प्राप्त कर रहे भारतीय नागरिकों को भी इसमें शामिल करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री कीर्तवर्धन सिंह]

(क) और (ख) प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई), ईसीआर देशों में जाने वाले उत्प्रवास जांच अपेक्षित (ईसीआर) श्रेणी के पासपोर्ट धारक सभी भारतीय कामगारों के लिए एक अनिवार्य बीमा योजना है। विदेश में रोजगार के लिए जाने वाले ईसीआर और ईसीएनआर दोनों पासपोर्ट धारकों के लिए संशोधित पीबीबीवाई दिनांक 1 अगस्त 2017 से लागू है। यह योजना आकस्मिक मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में 10 लाख रुपए का बीमा कवर और दो साल के लिए 275 रुपए या तीन साल की वैधता के लिए 375 रुपए के मामूली बीमा प्रीमियम पर अन्य लाभ प्रदान करती है।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 2006-07 और जून 2025 के बीच 83 लाख से अधिक पॉलिसी जारी की गई हैं। इस अवधि के दौरान 3,302 दावे प्राप्त हुए और 2,210 का निपटान किया गया। पिछले 5 वर्षों में निपटाए गए दावों का विवरण अनुबंध-क में उपलब्ध है। पीबीबीवाई योजना केवल भारतीय प्रवासी कामगारों के लिए है, विदेश में शिक्षा प्राप्त करने वालों के लिए नहीं।

अनुबंध- क

प्रवासी भारतीय बीमा योजना

वर्ष	जारी की गई पॉलिसी की संख्या	प्राप्त किए गए दावों की संख्या	निपटाए गए दावों की संख्या
2020-21	***40628***	***72***	***38***
2021-22	***240178***	***89***	***54***
2022-23	***422650***	***107***	***26***
2023-24	***300233***	***73***	***22***
2024-25	***514525***	***133***	***24***
2025-26 (जून तक)	***125033***	***38***	***6***
कुल ***2006-07*** से	***8388143***	***3302***	***2210***

*****